

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

रमेश कुमार दूबे,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, राँची / मेदिनीनगर / हजारीबाग / देवघर।

स्मार

मुख्य अभियंता,  
लघु सिंचाई, राँची / दुमका।

मुख्य अभियंता,  
ईचा गालूडीह, जमशेदपुर।

मुख्य अभियंता,  
चाँडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक :- .....

विषय:- पूर्ववर्ती बिहार राज्य के अकार्यरत निगम/लोक उपक्रमों के कर्मियों एवं दायित्वों के उत्तरवर्ती राज्यों यथा बिहार एवं झारखण्ड के बीच विभाजन/व्यवस्था करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-3809, दिनांक-12.11.18 एवं पत्रांक-4107, दिनांक-12.12.18  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि योजना -सह- वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), राँची के पत्रांक-2826 दिनांक-02.11.18 (संलग्न) एवं पत्रांक-1968, दिनांक-08.08.18 (संलग्न) के आलोक में याचित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लगातार स्मारित किया जा रहा है। प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपसे याचित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र में अंकित तथ्यों एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में निजी ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब कर 31.12.18 तक विभाग को स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

( रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 4254

राँची, दिनांक :- 24/12/18

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


( रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

पत्रांक : वित्त-18/विविध- 2010/17.....2826/वि.

झारखण्ड सरकार  
योजना-सह-वित्त विभाग  
(वित्त प्रभाग)

17



राजकुमार श्रीवास्तव  
सरकार के अवर सचिव।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभाग (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/विधि विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग को छोड़कर), झारखण्ड, राँची।

राँची/दिनांक 2.11.18

विषय : पूर्ववर्ती बिहार राज्य के अकार्यरत निगम/लोक उपक्रमों के कर्मियों एवं दायित्वों के उत्तरवर्ती राज्यों यथा बिहार एवं झारखण्ड के बीच विभाजन/व्यवस्था करने के संबंध में

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1968/वि. दिनांक 08.08.2018, पत्रांक 2151/वि. दिनांक 28.08.2018 एवं पत्रांक 2386/वि. दिनांक 24.09.2018

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को अबतक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

2/11/18

(राजकुमार श्रीवास्तव)  
सरकार के अवर सचिव।

उप सहायक विभाजन  
(विभाजन सचिव/सचिव कोषागार)  
संख्या 3432  
दिनांक 06.11.18